न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 209/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. आईदानराम पुत्र मुकनाराम 2. पुरखाराम पुत्र मुकनाराम 3. विरधाराम पुत्र मुकनाराम जातियान– विश्नोई, निवासी–शोभालादर्शान तहसील सेडवा जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.07.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाडमेर के आदेश जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 260/2021 अनवान आईदानराम वगैराह बनाम तहसीलदार सेड़वा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधुराम पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 5 जनवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सेडवा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शोभालादर्शान, तहसील सेडवा में ख0न0 348 की रकबा भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि आयी हुई है। उक्त ग्राम का सेटलमेन्ट सम्वत 2012 में हुआ तब पैमाइश के दौरान भूमि के कब्जे अनुसार ने सही नक्शा तैयार किया गया जिसके चारो तरफ जागीर काल से लेकर आज दिन तक सीमाएं बनी हुई है जिसमें अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त सीमा में आने वाला अपीलार्थीगण का खेत का रकबा 289 बीघा 02 बिस्वा है परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान रकबा बराबरी निकालते समय गलती से वास्तविक रकबा 289 बीघा 2 बिस्वा के स्थान 171 बीघा 2 बिस्वा दर्ज कर दिया जो त्रुटि रकबा बराबरी निकालते समय हुई है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त गलती के कारण खतौनी बन्दोबस्त में भी खसरा रकबा गलत दर्ज हो गया तत्पश्चात की समस्त जमाबन्दियों में उक्त त्रुटि दोहराई गई। उक्त प्रकार की जानकारी अपीलान्टगण के पडौसी ख0सं0 351 के खातेदार ने विवाद किया तब हल्का पटवारी व भू0अ0निरीक्षक ने दिनांक 8.1.16 को मौके की पैमाइश के लिये आये तथा सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पैमाइश कर सीमाए बताईं। उस समय अपीलार्थीगण के ख0सं0 का सेटलमेन्ट अनुसार खतौनी बन्दोबस्त में रकबा दर्ज नहीं होना तथा रकबा कम दर्ज होने की बात बताई तब उक्त प्रकार की जानकारी अपीलान्टस को हुई, जो उक्तानुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी तहसीलदार सेडवा को जरिये नोटिस तलब किया, इसके बाद तहसीलदार सेडवा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। जिस मौका रिपोर्ट में मूल ख0सं0 348 का मौके की पैमाइश करवाने पर ख0सं0 348 का सेटलमेन्ट नक्शें में रकबा 284 बीघा 16 बिस्वा है तथा मौके पर भी उक्त खसरे का उतना ही रकबा पाया गया है। वर्तमान खातेदारान रकबा 284 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काबिज पाये गये, जिसकी मौका फर्द दिनांक 14.12.2021 पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय व अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने अपीलार्थीगण के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम को अस्वीकार करने मे भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी हैं क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, सेडवा ने तहसीलदार, सेडवा की ओर से पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2021 की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त किये जाने के योग्य है और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार सेडवा मौका फर्द दिनांक 14.12.2021 पत्रावली पर मौजूद थी, जिसका खण्डन करने वाला कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही था तथा उक्त मौका फर्द तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर मौतबिरान एवं खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार की है जो मौके की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है जिसको नहीं माने जाने का कारण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नही था। इन परिस्थितियो मे अपीलार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि की राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने जाने का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के योग्य है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थीगण के रेकर्ड दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का मनमाना आदेश पारित किया है। जो विधि व न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2022 को निरस्त करते हुए प्रार्थनापत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सेडवा की ओर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई थी और उसी के अनुसार अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष नियमानुसार अस्वीकार करने योग्य होने से उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है जो अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

उभय अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार सेडवा की ओर से पेश मौका फर्द रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन नहीं किया जाना प्रतीत होता है। उक्त मौका फर्द में मौके पर पटवारी हल्का/भू0अ0निरीक्षक द्वारा वादग्रस्त मूल खसरा 348 रकबा 171.02 बीघा भूमि का नक्शा व मौका कब्जा वर्तमान खातेदारान के रकबा 284.16 बीघा भूमि पर होना बताया है तथा जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर द्वारा जारी मोमी ट्रेस में ख0सं0 348 का रकबा बरारी करने पर रकबा 284.16 बीघा भूमि होना दर्शाया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे भू0अभिलेख अधिकारी होने के नाते राजस्व रेकर्ड/अभिलेख को नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करते।

इसके अतिरिक्त तहसीलदार सेडवा के द्वारा अपनी ओर से पेश मौका फर्द में भी उक्त मौका फर्द के सम्बन्ध में कोई विपरित तथ्य अथवा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं की है और अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यो को उक्त मौका फर्द को सही होना बताते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की मौन स्वीकृति दी जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने से पूर्व प्रकरण को गुणावगुण पर तथा न्याय किये जाने की दृष्टि से अपने निष्कर्श में कोई विवेचन व विश्लेषण अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनंक 26.07.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेडवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, सेडवा को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14.12.2021 को वादग्रस्त भूमि की तैयार की गई मौका फर्द तथा जिला कलेक्टर, कार्यालय बाडमेर द्वारा जारी मोमी ट्रेस क्रमांक 33 दिनांक 6.1.2016 के अनुसार अपीलार्थीगण के खातेदारी वाली खेत खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड में यथोचित रकबा दुरूस्ती की कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 05 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर